

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत : उपखण्ड अधिकारी

मुकाम : रावतभाटा

श्रीमती सतीष पत्नी संदीप गग्ग

बनाम... (अश्विनी भूमिधारी तहसीलदार रावतभाटा)

किस्म मुकदमा

बाद

नं०

55

सन् 2022

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इसमें जारी हुए
११/२०२५	पत्रावली पेश हुई। उभय पक्षकारान् उपस्थित। पैरीकार सरकार तहसीलदार रावतभाटा द्वारा जवाब प्रस्तुत करने का अवसर चाहा जो दिया जाता है। पत्रावली वस्तु जवाब पैरीकार सरकार दिनांक 17/12/2024 को पेश हो। S.D.O	
17/12/2024	पत्रावली पेश हुई। उभय पक्षकारान् उपस्थित। सरकार तहसीलदार रावतभाटा द्वारा जवाब प्रस्तुत करने का अवसर चाहा जो दिया जाता है। पत्रावली वस्तु जवाब पैरीकार सरकार दिनांक 22/01/2025 को पेश हो। S.D.O	
22/01/2025	पत्रावली पेश हुई। वादी तथा वकील वादी न्यायालय न्यायालय में अनुपस्थित। वादी तथा वकील वादी को न्यायालय द्वारा न्यायालय समय में तीन बार अलग-अलग समय पर आवाज लगाई गई बावजूद वादी तथा वकील वादी न्यायालय में अनुपस्थित। अतः न्यायालय में प्रकरण में पेशी हेतु वादी की और से उपस्थित नहीं होने से बाद-पत्र इसी स्तर पर अदम हाजिरी अदम पेशी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर से कम की जाकर शामिल वफत हो। उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)	